



भाकृअनुप - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान

बीछवाल, बीकानेर - 334006

दूरभाष संख्या : 0151-2253123, 2250960, फ़ैक्स 0151-2250145



नकारा सामान हेतु नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान के पुराने एवं नकारा घोषित सामान जैसे - रेफ्रिजरेटर - 01 नग, एसी - 02 नग, बीओडी इनक्यूबेटर - 01 नग, वाटर प्योरिफायर - 02 नग, वाटर कूलर - 01 नग, कम्प्यूटर सिस्टम विद एसेसिरीज - 01 नग, स्प्रेयर - 01 नग, एयर कूलर - 02 नग, वेट बैलेंस - 02 नग, यूपीएस - 02 नग, फोटो कॉपीयर मशीन - 01 नग, वाटर बाथ - 01 नग, वोल्टेज स्टेपलाइजर - 01 नग, वाटर स्टील - 01 नग, इलेक्ट्रिक एयर डस्ट नेटूलाइजर - 01 नग, विभिन्न वाहनों से संबंधित टायर-ट्यूब - 23 नग, विभिन्न समानों/मशीनों का सामान - 104 नग, सबमर्सिबल मोटर - 06 नग, मीटर बॉक्स - 02 नग, आयरन पाइप - 13 नग, लोहे के बड़े बॉक्स - 02 नग, ट्यूबवेल पाइप - 06 नग, धातु तार - लगभग 10 क्विंटल (अनुमानित), इलेक्ट्रिक केबल - 10 बंडल, इलेक्ट्रिक पेनल - 04 नग, आयरन एंगल - 95 नग, मैन स्वीच - 45 नग, स्टार्टर - 25 नग, एकजोस्ट फेन - 06 नग, विद्युत मीटर - 09 नग, ट्यूब लाइट फिटिंग - 20 नग, रोड लाइट फिटिंग - 55 नग, पोल बाक्स - 35 नग, रोड लाइट चौक - 200 नग, ट्यूब लाइट चौक - 300 नग, विद्युत फिटिंग के पाईप - 20 नग, जनरेटर एवं संस्थान वाहनों का जला हुआ ऑयल - 359 लीटर (अनुमानित), बिजली के स्क्रैप स्वीच, होल्डर, स्वीच बोर्ड इत्यादि, पुराने काटेदार तार - 7600 किग्रा (अनुमानित), लोहे के पुराने एंगल 1280 नग, वेक्यूम क्लीनर - 01 नग, हीट एयर ब्लोवर - 02 नग, लॉक - 06 नग, कुर्सी - 04 नग, स्टेपर - 01 नग, डुप्लीकेटिंग मशीन - 01 नग, पेपर कटर एवं स्टीचिंग मशीन - 01 नग, स्टील केबिनेट - 01 नग, दीवार घड़ी - 04 नग, वाटर फिल्टर - 01 नग एवं अन्य विविध स्क्रैप सामान की नीलामी जहां है जैसी के आधार पर मदवार (Group Wise) की जानी है। सामान की नीलामी दिनांक 04.10.2017 को प्रातः 11.00 बजे से संस्थान के कार्यालय भवन में आयोजित की जावेगी। नीलामी बोली लगाने से पूर्व प्रत्येक बोलीदाता को निर्धारित धरोहर राशि रु. 10000.00 जमा करानी होगी, यह धरोहर राशि प्रातः 10.00 बजे से 11.00 बजे के मध्य ही जमा की जावेगी तथा प्रातः 11.00 बजे नीलामी हेतु बोली प्रारम्भ हो जायेगी। नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त नकारा सामान को देखने हेतु कार्य-दिवसों में कार्यालय-समय के दौरान संस्थान के सहायक प्रशासनिक अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। नीलामी में शामिल नकारा सामान का पूरा विवरण तथा नीलामी की विस्तृत शर्तें/कार्यक्रम इत्यादि की जानकारी संस्थान कार्यालय के सूचना-पट्ट व संस्थान की वेब साईट www.ciah.ernet.in एवं CPP/NIC Portal (Gol) पर उपलब्ध है।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

भाकृअनुप - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान



ICAR - CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE

Beechwal, Bikaner (Rajasthan) - 334006

बीछवाल, बीकानेर - 334006

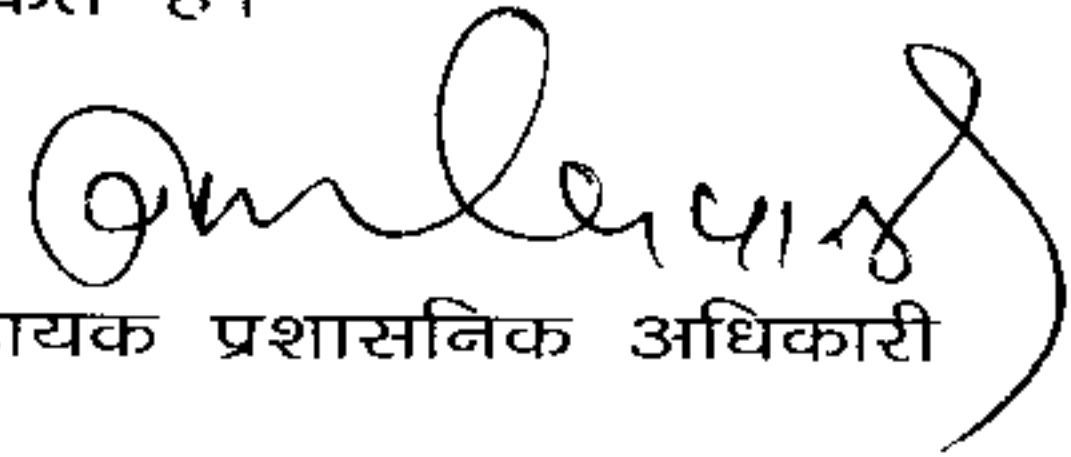
दूरभाष संख्या : 0151-2253123, 2250960, फ़ैक्स 0151-2250145



नकारा सामान हेतु नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान के संलग्न सूची में वर्णित पुराने एवं नकारा सामान की नीलामी, जहां है जैसी के आधार पर की जानी है:

1. प्रत्येक मद के लिए अलग नीलामी होगी तथा पहले मद की नीलामी पूर्ण होने पर ही दूसरे मद की नीलामी प्रारंभ होगी।
2. नीलामी दिनांक 04.10.2017 को प्रातः 11.00 बजे से संस्थान के कार्यालय भवन में प्रारंभ की जावेगी।
3. नीलामी बोली लगाने से पूर्व प्रत्येक बोली दाता को रु. 10,000.00 नीलामी धरोहर राशि एवं पेन कार्ड की फोटो प्रति प्रातः 10.00 बजे से 11.00 बजे के मध्य ही जमा करवानी होगी तथा 11.00 बजे से बोली प्रारंभ हो जावेगी।
4. जिस व्यक्ति के नाम से बोली स्वीकृत होगी, उसे स्वीकृत बोली की कुल राशि का एक तिहाई (33 प्रतिशत) तुरंत मौके पर ही जमा कराना होगा। शेष दो तिहाई राशि संस्थान के बोली स्वीकार्य बाबत पत्र प्राप्त होने के तीन दिनों में जमा करानी होगी। प्रथम मद की बोली स्वीकार होने पर बोली की 33 प्रतिशत तुरंत जमा कराने पर ही दूसरे मद की बोली में उस बोली दाता को शामिल किया जावेगा।
5. राज्य/भारत सरकार के नियमों के अंतर्गत देय किसी भी तरह के जीएसटी, एसटी, वेट (GST/ST/VAT) इत्यादि की भुगतान की जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी एवं संस्थान उत्तरदायी नहीं होगी। यह निविदा बोली राशि के अतिरिक्त होगी।
6. अधिकतम बोली दाता के हक में बोली छोड़ने का अधिकार संस्थान के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा तथा उनका अंतिम होगी।
7. सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित अवधि में बोली की संपूर्ण राशि जमा न कर पाने की अवस्था में उसके द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राशि एवं राशि बोली की एक तिहाई राशि संस्थान द्वारा जब्त कर ली जावेगी। साथ ही उसके पक्ष में स्वीकृत बोली का रद्द कर दिया जायेगा। इस स्थिति में द्वितीय अधिकतम बोलीदाता की बोली स्वीकार करने या नकारा सामान के विक्रय हेतु पुनः नीलामी आयोजित करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।
8. नीलामी के लिये सूची में वर्णित पुराने एवं नकारा सामान को देखने के इच्छुक व्यक्ति संस्थान के सहायक प्रशासनिक अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।


सहायक प्रशासनिक अधिकारी